संख्या : 1477 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2014 / 10–मा0सं0(04) / 2006(टी0सी0–3) दिनांक : 27, अगस्त , 2014

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की तापीय परियोजनाओं पर स्थित निगमीय आवासीय कालोनियों में अर्हता श्रेणी के ऊपर की कोटि के आवास के अध्यासन पर निम्नलिखित परिस्थितियों में अधिरोपित किराये की राशि में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना प्रमुख को अधिकृत किया जाता है ::–

(अ) **अर्हता श्रेणी से ऊपर के रिक्त बचे आवासों के आवन्टन के प्रकरण :–**
इसके अन्तर्गत उन प्रकरणों को विचारित किया जायेगा जिनके मूल आवन्टन आदेश में इस बात का कोई उल्लेख नही है कि अर्हता श्रेणी से ऊपर का आवास आवन्टित किये जाने के कारण आवंन्टी द्वारा कोई किराया देय होगा ।

(ब) **निगम कार्मिक की सेवा अवधि के दौरान हुई मृत्यु के समय आवन्टित आवास, उसके सेवायोजित आश्रित को आवास आवन्टित किये जाने के प्रकरण :–**
इसके अन्तर्गत उन प्रकरणों को विचारित किया जायेगा जिसमें मृतक कार्मिक जोकि अर्हता श्रेणी के अनुरूप श्रेणी के आवास में रहा हो तथा उसकी मृत्यु उपरान्त उसी आवास को उसके आश्रित / हितग्राही, को आवन्टित किया गया है तथा ऐसे प्रकरणों के आवास आवन्टन आदेश में इस बात का कोई उल्लेख नही है कि अर्हता श्रेणी से ऊपर का आवास आवन्टित किये जाने के कारण आवन्टी द्वारा कोई किराया देय होगा।

(स) **निर्माण के समय निर्धारित आवास की श्रेणी के लिविंग एरिया के आधार पर पुनर्निर्धारण के प्रकरण :–**
इसके अन्तर्गत उन प्रकरणों को विचारित किया जायेगा जिनमे आवास आवन्टन के समय में अनुमन्य अर्हता श्रेणी के अनुरूप कार्मिक को आवास आवण्टित हुआ है परन्तु कार्यालय ज्ञाप संख्या 291–मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2010–10–मा0सं0(04) / 2006 दिनांक 06 मार्च, 2010 के निर्गतोपरान्त लिविंग एरिया निर्धारित मानक से अधिक होने के कारण उसे उच्चतर श्रेणी का कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप अध्यासी पर निगमादेश के अनुसार किराया अधिरोपित कर दिया गया है ।

2– उपरोक्त प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर (अ) एवं (ब) से आवरित आवासों पर अधिरोपित किराये के प्रकरणों के निस्तारण के लिए परियोजना द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा :–

- मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) / अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
- उप मुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद)

3– उपरोक्त प्रस्तर – 2 में गठित समिति द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों में अधिरोपित किराये की राशि के छूट प्रदान करने हेतु की गयी अनुशंसा के आधार पर निम्न प्रक्रिया के आधीन परियोजना प्रमुख द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा :–

(1) कार्मिक को अर्ह श्रेणी के आवास आवण्टन एवं कार्मिक द्वारा अर्हता श्रेणी से ऊपर के आवास को निर्धारित अवधि में रिक्त किए जाने के उपरान्त ही प्रकरण को पूर्ण अधिरोपित किराये के शमन के लिए विचारित किया जायेगा।

(2) सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि से एक माह की अवधि तक ही अधिरोपित किराये के शमन के लिए विचारित किया जायेगा तथा शेष अवधि यदि कोई हो तो निगम के प्रचलित नियमों / प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः——2

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
१४, अशोक मार्ग, लखनऊ – २२६ ००१

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
(Government of Uttar Pradesh Undertaking)
Shakti Bhawan/Shakti Bhawan Extn.
14 – Ashok Marg, Lucknow – 226 001

UPRVUNL

(3) मृतक कार्मिक के प्रकरण में कार्मिक की मृत्यु की तिथि से एक माह की अवधि तक ही अधिरोपित किराये के शमन के लिए विचारित किया जायेगा तथा शेष अवधि यदि कोई हो तो निगम के प्रचलित नियमों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त बिन्दु–(1), (2) एवं (3) के प्रकरणों को प्रस्तर – 2 में गठित समिति द्वारा अधिरोपित किराये के शमन हेतु विचार कर परियोजना प्रमुख को अनुशंसा की जायेगी तथा परियोजना प्रमुख द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(5) बिन्दु (1) के अर्न्तगत अर्ह श्रेणी के आवास आवन्टन के उपरान्त निर्धारित अवधि में पूर्व आवंटित आवास रिक्त न किए जाने की दशा में कार्मिक पर पूर्व अधिरोपित किराये का शमन नहीं किया जायेगा एवं विद्यमान नियमों के अन्तर्गत किराया देय होगा।

(6) यदि बाद में लिविंग एरिया के आधार पर श्रेणी का पुर्ननिर्धारण किया गया था, ऐसी दशा में पुर्ननिर्धारित आवास श्रेणी को निरस्त करते हुऐ निर्माण/मूल निर्धारित आवास की श्रेणी ही मान्य होगी।

(7) ऐसे प्रकरण जिनमें अर्हता श्रेणी के ऊपर की कोटि के आवास का आवण्टन करते समय आवास आवण्टन आदेश में किराये की देयता अंकित की गई हो, को किराये के शमन हेतु अनुमन्य नहीं माना जायेगा।

प्रकरणों के निस्तारण के लिए उपरोक्त प्रक्रिया निर्धारित तिथि 31.12.2014 तक पूर्ण कर ली जाये। उक्त तिथि के उपरान्त कोई प्रकरण निस्तारित नहीं किया जायेगा। समस्त प्रकरणों का विवरण उक्त तिथि की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1477 (1) मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2014 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेंतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2– निदेशक (कार्मिक/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन वि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4– मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/ता0 परि0/ईधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0 प्र0 रा0 वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5– कार्यकारी महाप्रबन्धक (मानव संसाधन), उ0 प्र0 रा0 वि0 उ0 नि0 लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/उ0 प्र0 रा0 वि0 उ0 नि0लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
7– अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, (मा0सं0–1/2/3/5/6)/प्रशिक्षण/टा0व0से0 एवं सं0कार्य/औ0सं0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 159वी बैठक जो दिनांक 08.08.2014 को सम्पन्न हुई, के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।
9– अधीक्षण अभियन्ता, रिफॉर्म इकाई–प्रगति, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, टी0सी0–46/V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।
10 उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज,कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)
11– कट फाइल।

आज्ञा से,

27/8/14

(मनोज कुमार सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–04)